भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 484
22.07.2026 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का संशोधन

484. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुद्रास्फीति और सार्वजनिक कार्यों की लागत में वृद्धि के बावजूद, वर्ष 2011-12 के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत वार्षिक आवंटन को प्रति सदस्य 5 करोड़ रुपये पर ही निरंतर बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान विकास आवश्यकताओं को देखते हुए एमपीएलएडीएस की वर्तमान सीमा की पर्याप्तता का कोई मूल्यांकन या समीक्षा की है;

(ग) क्या सरकार का विचार एमपीएलएडीएस के वार्षिक आवंटन को संशोधित करने या बढ़ाने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एमपीएलएडीएस की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना या रूपरेखा तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 05.05.2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 तक 16वें वित्त आयोग की अवधि के सह-सत्रावसान में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसमें प्रत्येक सांसद की वार्षिक पात्रता ₹5.00 करोड़ होगी।

(ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सांसद को स्थानीय रूप से अनुभव की गई लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाना है, जिसमें व्यापक जनहित के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

इस योजना के तहत अनुमत कार्य सार्वजनिक और सामुदायिक अवसंरचना, सार्वजनिक सुविधाएँ, सुरक्षा और संरक्षा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का

क्रियान्वयन किया जाता है, तथापि एमपीलैड्स का उद्देश्य ऐसी पहलों का प्रतिस्थापन अथवा दोहराव करना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर चिन्हित विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अंतिम-छोर तक पहुँच प्रदान करना और व्यवहार्यता संबंधी अंतरालों को दूर करके ऐसी पहलों का पूरक बनना है।

इसके अतिरिक्त ,उभरती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत कार्यों के दायरे और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रीमंडल ने एमपीलैड्स को जारी रखने के लिए अनुमोदन देते हुए एमपीलैड्स का अधिक संख्या में केंद्रीय एवं राज्य की योजनाओं और स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के साथ अभिसरण भी अनुमोदित किया । यह निर्णय, मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में संचालित योजना के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की संस्तुतियों पर आधारित है, और इसका उद्देश्य संयुक्त वित्तपोषण के माध्यम से बड़ी और अधिक प्रभावशाली परियोजनाओं के निष्पादन को सुगम बनाना है, जिससे योजना की समग्र प्रभावशीलता बढ़ेगी और संसद के सदस्यों को बिना दोहराव के अधिक व्यापक और जनहित के कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्तमान में, एमपीलैड्स वार्षिक आवंटन को संशोधित करने या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मंत्रालय विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए हितधारकों से प्राप्त नए सुझावों को निरंतर आधार पर प्राप्त कर उनकी जांच करता है, जिनमें एमपीलैड योजना के अधीन निधि की पात्रता के लिए संशोधन के सुझाव भी शामिल हैं।
